न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री भँवर लाल मेहरा, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 18/2018 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– पृथ्वीराज पुत्र श्री लादूराम जाति सुथार निवासी 79 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

——— अपीलान्ट

—— बनाम ——

राजस्थान राज्य

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री ज्ञानसिंह — अभिभाषक अपीलांट

श्री गजेन्द्रसिंह — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 28.06.2021

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 28.05.2018, जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपने वृद्ध पिता श्री लादूराम पुत्र श्री धन्नाराम के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 64/12 डीएम श्रीगंगानगर बना है, जिस पर दर्ज शस्त्र 12 बोर डीबीबीएल गन नं. 5210 डी/6 को प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष अपने नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र लेने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस संबंध में आवेदक के पिता श्री लाधूराम की ओर से सहमति स्वरूप शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किया। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 3204 दिनांक 17.8.17 को प्रेषित की है, जिसमें आवेदक द्वारा शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होना अंकित है। जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलांट के द्वारा आयुद्ध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण में असफल घोषित किये जाने के फलस्वरूप आवेदन पत्र निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री ज्ञानसिंह बिश्नोई का मुख्य कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए ही कथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से प्राप्त पुलिस रिपोर्ट में अपीलांट के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। अपीलांट के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। आयुद्ध अधिनियम 2016 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या एजेन्सी को शस्त्र चलाने का प्रमाण पत्र देने के लिये अधिकृत नहीं किया गया है। तत्पश्चात् सरकार की ओर से प्रत्येक जिले की पुलिस लाईन को शस्त्र चलाने का प्रमाण पत्र देने के लिये अधिकृत किया गया, जिसके तहत ट्रेनर आवेदक को शस्त्र चलाने व उसकी सार–संभाल की ट्रेनिंग देता है, लिखित परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग शस्त्र चलाने की व शस्त्र के सार–संभाल की होती है। अपीलाधीन आदेश में शस्त्र चलाने के प्रशिक्षण में असफलता को आधार बनाया गया है, जबकि अपीलांट ने शस्त्र चलाने की व सार–संभाल करने की दक्षतापर्वक ट्रेनिंग ली थी। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया है ।
4. विद्वान सहायक लोक अभियोग श्री गजेन्द्रसिंह ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपने वृद्ध पिताजी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को अपने नाम करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर कें समक्ष आवेदन किया है। लाईसेंस व्यक्तिगत दिया जा रहा है। शस्त्र अनुज्ञा पत्र उतराधिकार में दिये जाने की वस्तु नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 17.8.17 में अपीलार्थी का शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने का उल्लेख किया है। इसी आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।
5. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। प्रकरण में अपीलांट ने अपने पिता के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में इस तथ्य को प्रमुखता दी है कि अपीलांट शस्त्र अनुज्ञा पत्र चलाने के प्रशिक्षण में असफल घोषित हुआ है और पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट में भी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

होने का उल्लेख किया है। इस प्रकार अपीलांट शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है। हम विद्वान राजकीय अभिभाषक के इस कथन से सहमत हैं कि शस्त्र एवं शस्त्र अनुज्ञा पत्र उत्तराधिकार में प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। इसके अतिरिक्त विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने हमारे समक्ष कोई नवीन साक्ष्य–सबूत आदि पेश नहीं किये हैं, जिन पर विचार किया जा सके। शस्त्र अनुज्ञा पत्र धारण करने से पूर्व शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, जो अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. उपरोक्त विवेचना के मध्यनजर अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2018 में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है।

7. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 28.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भँवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर